13.12.2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी सं. 1 व 2 के वकील अनुपस्थित।

SDO सिणधरी

प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई।

प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र वास्ते तलब करने मौका रिपोर्ट व आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि यह है कि प्रार्थीगण ग्राम खड्डू तहसील पचपदरा जिला – बाड़मेर के स्थाई निवासी हैं। स्वर्गीय खेमाजी के वारिसान् की भूमि सरहद मौजा खड्डू व गिरलीचारणान् में आयी हुई हैं जो प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति के खेत हैं प्रार्थीगण हुकमाराम व कुंभाराम का चाचा नवलाराम शादीशुदा नही था उनके कोई औलाद नहीं थी प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा आपसी बंटवाड़ा कर नवला पुत्र मगा को खसरा नम्बर 42 रकबा 35 बीघा गिरली चारणान् में हक हिस्से में दी तथा प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता व पूर्वजो का भी इस भूमि पर कब्जा व काश्त था, नवला की शादी न होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा ही सेवा–चाकरी की गई व आधा हिस्सा सोनाराम के वारिस प्रार्थी [illegible] को व आधा हिस्सा ताजाराम के पुत्र प्रार्थी कुंभाराम को भूमि [illegible] द्वारा अपनी [illegible] साकरी में दी गई तथा नवलाराम का देहान्त होने के बाद सामाजिक रिवाज के अनुसार सारा खर्चा प्रार्थीगण के पितागण द्वारा किया गया नवलाराम की मृत्यु के

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:00 IST
Reason: SelfAttested

13/12/2022
सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

92/2019

बाद हरीद्वार में हड्डियो को गंगा में विर्सजन किया जिसका सारा खर्चा प्रार्थीगण के पिता द्वारा किया गया नवला के एकमात्र उताराधिकारी प्रार्थीगण की हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा ये वाद अन्य विप्रार्थीगण की सहमति एवं उनके हितो के लिये पेश किया जा रहा हैं जिसमें अन्य सह हिस्सेदार को कोई आपत्ती नही हैं अगर आपत्ति हैं तो वो न्यायालय में आकर अपना अधिकार हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिये स्वतंत्र हैं मगर प्रार्थीगण द्वारा सबकी सहमति एवं प्रार्थीगण के हिस्से में आयी भूमि के अनुसार ही प्रार्थीगण द्वारा ये प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा हैं। प्रार्थीगण के चाचा नवलाराम 1968 में फौत हो गये तथा नवला पुत्र मगा जाति जाट निवासी–खड्डू की जगह पर विप्रार्थी संख्या 1 भूरा वल्द नवला जाति जाट निवासी– खड्डू का नाम दर्ज किया गया जबकि भूरा वल्द नवला जाति जाट निवासी–खड्डू के नाम का कोई व्यक्ति नही हैं मगर नामान्तरण संख्या 12 दिनांक– 16.02.69 को भूरा वल्द नवला के नाम से नामान्तरण गलत भरा गया भूरा वल्द नवला नाम का कोई व्यक्ति नहीं हैं मगर भूरा वल्द शम्भु जाति जाट निवासी–बायतू भोपजी वाला फर्जी बनकर गलत तौर से नामान्तरण संख्या 12 दिनांक– 16.2.69 को भरवा दिया गया जो नामान्तरकरण गलत भरा गया जबकि भूरा वल्द नवला नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। भूरा वल्द शम्भू जाति जाट निवासी – बायतू भोपजी का निवासी हैं जो नवला का पुत्र बनकर गलत तौर से नामान्तरकरण के जरिये खातेदारी जमीन में नाम दर्ज करवाया हैं । इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 12 नवला पुत्र मगा फौत होने पर भूरा वल्द नवला कौम जाट साकिन खड्डू नाम दर्ज किया गया जो गलत दर्ज किया गया सोना, भूरा, रूपा पुत्र शम्भू जाति जाट निवासी–आमजर पटवार हल्का करना तहसील सिणधरी की खातेदारी भूमि आयी हुई हैं जो बायतु भोपजी के निवासी हैं जिसकी खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 24, 25, 31 कुल भूमि 256 बीघा 04 बिस्वा भूमि आयी हुई हैं तथा खेत खसरा नम्बर 817, 829, [illegible] बिस्वा सरहद मौजा, बायतु चिमनजी / बायतु भोपजी [illegible] में आयी हुई हैं यानि भूरा पुत्र शंभू निवा[illegible] भूरा वल्द नवला कौम जाट साकिन खड्डू के नाम की खातेदारी दर्ज करवाई गई। भूरा पुत्र नवला गलत दर्ज करवाया गया क्योंकि नवला के कोई संतान नही थी बायतु का रहने वाला नवला पुत्र मगा का फर्जी पुत्र बनकर भूरा वल्द नवला गलत नाम दर्ज करवा दिया गया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी प्रार्थीगण के पिता व मृतक नवला पुत्र मगा सामलाती काश्त करते थे नवला पुत्र मगा फौत होने पर प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

के पिता व प्रार्थीगण द्वारा आज दिन तक खेत खसरा नम्बर 42 रकबा 35 बीघा 10 विस्वा पर आज भी कब्जा व काश्त निर्विघन रूप करते आ रहे हैं । आज दिन तक मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है, ऐसी स्थिति में मौका स्थिति की भौतिक जानकारी की रिपोर्ट तलब करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे। भूरा वल्द शम्भू द्वारा ये भी ऐलानिया धमकी दी कि आपकी खातेदारी भूमि मैंने मेरे नाम करवाने के बाद दिनांक–30.01.2018 को उक्त भूमि मैंने मेरी पत्नी रतनीदेवी पत्नी भूराराम कौम जाट साकिन आमजर नाम दान कर उनके नाम खातेदारी में दर्ज करवा दी हैं तथा मेरी पत्नी का ही अब कब्जा हैं तथा मैंने व मेरी पत्नी ने षड्यंत्र रचकर फर्जी, दस्तख्त कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर आपकी खातेदारी भूमि हमारे नाम राजनैतिक दबाव से करवा दी हैं तथा अब हम इस भूमि को आगे बेच देगें। तब रेवेन्यु रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर हमें जानकारी प्राप्त हुई कि उपरोक्त खसरा की भूमि खसरा नम्बर 42 रकबा 35 बीघा भूरा वल्द नवला जो बायतु का रहने वाला विप्रार्थी संख्या 1 ने भूमि को विप्रार्थी संख्या 2 अपनी पत्नी के नाम दान में कर दी हैं की जानकारी नकले प्राप्त होने पर हुई तब हमने हल्का पटवारी से नकले प्राप्त की व दिनांक – 18.6.2019 को नामान्तरण संख्या 12 की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि नवला पुत्र मगा के स्थान पर भूरा वल्द नवला फर्जी आदमी बनकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा दी हैं तथा आगे विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विप्रार्थी संख्या 2 के नाम भूमि दान कर दी हैं विप्रार्थी संख्या 1 को विप्रार्थी संख्या 2 को भूमि दान करने का कोई अधिकार नहीं हैं विप्रार्थी संख्या 1 की भूमि नहीं हैं इसलिये ऐसे दान विलेख की कानून में कोई मान्यता नहीं हैं तथा फर्जी पुत्र विप्रार्थी संख्या 1 बना हैं उसका अलग से फौजदारी मुकदमा किया जायेंगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी भी काश्तकार की मृत्यु होने पर उनके विधिक वारिसान का नाम जरिये नामान्तरण भरा जाता हैं तथा नामान्तरण के वक्त आई. डी. प्रुफ व गांव के मौजिज पंच व सर[illegible] की [illegible]जुदगी में तस्दीक किया जाता हैं तथा नामान्त[illegible] [illegible] किया जाता हैं नामान्तरण संख्या 12 जो पारित किया गया है वो विधि विरूद्ध हैं तथा मृतक नवला पुत्र मगा के वारिस प्रार्थीगण ही है हिन्दू विधि के अनुसार मृतक की सम्पदा में उनके वारिस ही उत्तराधिकार होते हैं जब तक मृतक द्वारा कोई वसीयत, गोद या हकतर्कनामा नही लिखा हैं तो मृतक के लिगल वारिस को ही मृतक की सम्पति में अधिकार उत्पन्न होते हैं, मृतक नवला पुत्र मगा शादीशुदा नही था इसलिये उनके दोनो

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:00 IST
Reason: SelfAttested

13/12/2022
सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

भाई का देहान्त हो चुका हैं दोनो भाईयो के पुत्र प्रार्थीगण हैं यानि प्रार्थीगण मृतक नवला पुत्र मगा के भतीज हैं। इसलिये प्रार्थीगण ही उत्तराधिकारी हैं तथा प्रार्थीगण ने अपने हक हिस्से की जमीन अन्य प्रार्थीगण के परिवार के सदस्यो को ग्राम खड़ू में अलग से दे दी हैं इस भूमि पर एकमात्र अधिकार प्रार्थीगण का ही हैं इसलिये प्रार्थीगण द्वारा ये वादपत्र अन्य परिवार के सदस्यो की सहमति व उनके हितो के लिये ये वाद अधिकारो की घोषणा हेतु वाद पत्र पेश किया गया हैं विप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि इस वर्ष आपको खेत नही खड़ने दिया जायेंगा तथा विवादग्रस्त खसरान को विप्रार्थी संख्या 2 अन्य लोगो को बेचने हेतु उतारू हैं अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र जारी करने से पूर्व विचारणीय तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, लाभ–हानि के बिन्दु पर विचार करना आवश्यक हैं तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में हैं तथा विप्रार्थीगण के विरूद्ध है तथा यदि भूमि का बेचान बक्शीष रहन हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका नगदी में मूल्याकंन नही किया जा सकता हैं ऐसी स्थिति में खेत खसरा नम्बर 42 रकबा 35 बीघा सरहद मौजा गिरली चारणान में प्रार्थीगण के कब्जे कास्त में हस्तक्षेप न करें और न ही अन्य से करावें तथा दौरान दावा भूमि का बेचान, बक्षीश, रहन इत्यादी न करने हेतु विप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

हमने प्रार्थी वकील की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। वादग्रस्त भूमी मौजा गिरली चारणान के खेत खसरा नम्बर 42 रकबा क्रमशः 35.10 बीघा वक्त बंदोबस्त नवला पुत्र मगा के नाम दर्ज हुई। जंहा तक प्रार्थीगण ने अपने अभिकथनों में उल्लेखित किया कि प्रार्थीगण हुकमाराम व कुंभाराम का चाचा नवलाराम शादीशुदा नही था उनके कोई औलाद नहीं थी प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा आपसी बंटवाड़ा कर नवला पुत्र मगा को खसरा नम्बर 42 रकबा 35 बीघा [illegible] में हक हिस्से में दी तथा प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता व [illegible] जो [illegible] इस भूमि पर कब्जा व काश्त के संबंध में [illegible] नवला की शादी न होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा ही सेवा–चाकरी की गई व आधा हिस्सा सोनाराम के वारिस प्रार्थी हुकमाराम को व आधा हिस्सा ताजाराम के पुत्र प्रार्थी कुंभाराम को भूमि नवलाराम द्वारा अपनी सेवा साकरी में दी गई तथा नवलाराम का देहान्त होने के बाद सामाजिक रिवाज के अनुसार सारा खर्चा प्रार्थीगण के पितागण द्वारा किया गया। प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:00 IST
Reason: SelfAttested

13/12/2022
सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

चाचा नवलाराम 1968 में फौत हो गये तथा नवला पुत्र मगा जाति जाट निवासी–खट्टू की जगह पर विप्रार्थी संख्या 1 भूरा वल्द नवला जाति जाट निवासी– खट्टू का नाम दर्ज किया गया जबकि भूरा वल्द नवला जाति जाट निवासी–खट्टू के नाम का कोई व्यक्ति नही हैं मगर नामान्तरण संख्या 12 दिनांक– 16.02.69 को भूरा वल्द नवला के नाम से नामान्तरण गलत भरा गया भूरा वल्द नवला नाम का कोई व्यक्ति नहीं हैं मगर भूरा वल्द शम्भु जाति जाट निवासी–बायतू भोपजी वाला फर्जी बनकर गलत तौर से नामान्तरण संख्या 12 दिनांक– 16.2.69 को भरवा दिया गया जो नामान्तरकरण गलत भरा गया जबकि भूरा वल्द नवला नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। भूरा वल्द शम्भू जाति जाट निवासी – बायतू भोपजी का निवासी हैं जो नवला का पुत्र बनकर गलत तौर से नामान्तरकरण के जरिये खातेदारी जमीन में नाम दर्ज करवाया हैं ।

जहां तक विधिविरूद्ध विप्रार्थी सं. 1 द्वारा विप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में किये गये दान के आधार पर विप्रार्थीगण मात्र खातेदारी अंकन के आधार पर प्रार्थीगण को अपने पुश्तैनी एवं निकटतम वारिसान की हैसियत से उनकी सम्पति से वंचित रखते हुए उन्हें कब्जे काश्त की भूमि से बेदखली पर उतारू है ,ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की इस्तदुआ अनुसार उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होने व नवला पुत्र मगा के अविवाहित फौत होने पर उसके लीगल वारिसान की हैसीयत से विवादित आराजी में प्रार्थीगण का सामुहिक रूप से हिस्सा बनता है का निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य /सबूत के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई निर्णित किया जाना है, जहां तक विवादित भूमि के संबंध में मौका स्थिति की जानकारी हेतु मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में अदालत जंहा घोषणात्मक वाद में अपनी ओर से कोई साक्ष्य/सबूत संकलित किया जाना उचित नहीं समझती है, उसके लिए पक्षकारान अपनी ओर से स्वयं के स्तर से साक्ष्य संकलित करे, परन्तु प्रथम दृष्टया प्रार्थी द्वारा व्यक्त अपने अभिकथनों के अनुसार यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि आगे–से–आगे बेचान के जरिये कब्जे काश्त की स्थिति में बदलाव अथवा मौका स्थिति में भिन्नता की स्थिति पैदा होने की दशा उत्पन्न होती हैं तो पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और प्रकरण को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदीगीया बढेगी। उपरोक्त परिस्थिति को मदद्वेनजर रखते हुए मूलवाद के निर्णय तक विप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

13/12/2022
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:00 IST
Reason: SelfAttested

32/2019

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौका रिपोर्ट तलबी प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए ताफैसला मूलवाद के निर्णय तक दोनों पक्षों को जरियें अस्थाई स्थगन आदेश के पाबंद किया जाता है कि वह ग्राम गिरली चारणान के खेत खसरा नम्बर 42 रकबा 35.00 भूमि के संबंध में राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

3/2/2022
सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:00 IST
Reason: SelfAttested